कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 176/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.05.2026

थाना – साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

➡ ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर 9.25 लाख रुपये की साइबर ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡ बिहार से वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, 02 मोबाइल फोन व ₹1900 नगद बरामद

➡ फर्जी मर्चेंट क्यूआर स्कैनर व बैंक खातों के माध्यम से करता था साइबर फ्रॉड

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ की टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

वादी मुकदमा श्री मनोज यादव पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र यादव निवासी ग्राम बम्हौर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के साथ ऑनलाइन गेमिंग “51GAME” के नाम पर ₹9,25,000/- की साइबर ठगी की गई थी। इस संबंध में वादी द्वारा थाना साइबर क्राइम पर प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 01/2025 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त अविनाश विजय पुत्र बिजय कुमार सिंह निवासी 439 खुनी गली शीतल टोला शिवगंज आरा भोजपुर बिहार, द्वितीय पता जमीराबांध आरा भोजपुर बिहार उम्र करीब 27 वर्ष को थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा गैर प्रान्त बिहार जाकर दिनांक 07.05.2026 को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड में संलिप्त था। यह फ्रॉड का पैसा विभिन्न खातों में मंगाकर अपने खाते में ट्रांसफर कर नकद निकाल लेता था तथा कुछ धनराशि अपने साथियों को भेज देता था। अभियुक्त फर्जी दुकान एवं फर्म के नाम पर मर्चेंट क्यूआर स्कैनर तैयार कर स्वयं इस्तेमाल करता था तथा अन्य साथियों को भी उपलब्ध कराता था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अविनाश विजय पुत्र बिजय कुमार सिंह निवासी 439 खुनी गली शीतल टोला शिवगंज आरा भोजपुर बिहार, द्वितीय पता जमीराबांध आरा भोजपुर बिहार, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी-

1. 02 अदद मोबाइल फोन
2. ₹1900 नगद

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 01/2025 धारा 318(4), 319(2), 317(2) बीएनएस व 66C/66D आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़।

कार्यवाही में सम्मिलित पुलिस टीम-

1. म0नि0 विभा पाण्डेय थाना साइबर क्राइम
2. उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद का0 सभाजीत मौर्य का0 विकास कुमार यादव का0 संजय कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।

सम्पूर्ण कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई।

थाना- सिधारी, जनपद आजमगढ़

➡️ मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं व लड़कियों से अभद्र व्यवहार करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत व छींटाकशी करने पर थाना सिधारी पुलिस की कार्यवाही

➡️ महिला सुरक्षा एवं सम्मान हेतु मिशन शक्ति टीम द्वारा लगातार चलाया जा रहा अभियान

डॉ0 अनिल कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक सिधारी राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में थाना सिधारी की मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु अभियान चलाकर कार्यवाही की गई।

दिनांक 08.05.2026 को उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा प्रभारी मिशन शक्ति टीम थाना सिधारी मय हमराह द्वारा थाना क्षेत्र में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के दौरान अभियुक्त अशहद पुत्र मो0 शमी निवासी देवलीखालसा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष को नरौली तिराहे के पास सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं व लड़कियों के साथ अश्लील हरकत एवं अभद्र व्यवहार करते पाए जाने पर समय करीब 12:00 बजे गिरफ्तार किया गया।

उक्त कृत्य के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 164/26 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान बनाए रखने हेतु लगातार मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है तथा इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अशहद पुत्र मो0 शमी निवासी देवलीखालसा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 164/26 धारा 296 बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा, प्रभारी मिशन शक्ति टीम थाना सिधारी
2. हे0का0 अनिल राय
3. का0 हरिभान
4. का0 शाहिल खान
5. म0का0 संजना सिंह

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

➡️ थाना गम्भीरपुर पुलिस की तत्परता से खोया हुआ लैपटॉप, चार्जर व अन्य सामान बरामद

➡️ बरामद सम्पूर्ण सामान आवेदक को किया गया सुपुर्द

दिनांक 29.04.2026 को आवेदक बृजेश चौहान पुत्र अच्छेलाल चौहान निवासी बिन्द्राबन जखनिया जनपद गाजीपुर द्वारा थाना गम्भीरपुर पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 28.04.2026 को वाराणसी से आजमगढ़ जाते समय अमौड़ा टोल प्लाजा के आसपास उनका बैग, जिसमें 01 अदद लैपटॉप नं0 ST-7FF1M4V3, चार्जर, 01 नेकबैंड एवं ब्लूटूथ आदि सामान रखा था, कहीं खो गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी।

उक्त प्रकरण में थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा तत्परता एवं अथक प्रयास करते हुए आवेदक का सम्पूर्ण सामान बरामद कर सकुशल आवेदक को सुपुर्द किया गया, जिस पर आवेदक द्वारा पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया गया।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सूरज चौधरी का0 आनन्द प्रकाश थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

थाना – तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

➡️ अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ 03 किलो अवैध गांजा, मोबाइल फोन व नकदी बरामद

➡️ एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तहबरपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। दिनांक 07.05.2026 को उ0नि0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान रघुनाथपुर अण्डरपास के पास से अभियुक्त लालजी यादव पुत्र स्व0 दलसिंगार यादव उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम सेमरहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

क्षेत्राधिकारी सगड़ी द्वारा तलाशी लिये जाने पर अभियुक्त के कब्जे से 03 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को दिनांक 07.05.2026 समय 17:10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0 69/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह बंजारा लोगों से गांजा खरीदकर ग्राहकों को फुटकर बिक्री करता था तथा इसी से अपने परिवार का खर्च चलाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

लालजी यादव पुत्र स्व0 दलसिंगार यादव निवासी ग्राम सेमरहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

1. 03 किलो अवैध गांजा
2. एक अदद मोबाइल फोन
3. जामा तलाशी से ₹1220 नगद

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 69/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 942/2009 धारा 307/323 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 266/2022 धारा 8/20/27ए/29 एनडीपीएस एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 328/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 रामअशीष का0 सत्यम सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

थाना – रौनापार, जनपद आजमगढ़

➡️ दहेज उत्पीड़न व दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में पुलिस की कार्रवाई

➡️ अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के आदेश के अनुपालन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रौनापार पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

वादी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना रौनापार पर लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि आरोपीगण द्वारा उनकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था तथा मारपीट की जाती थी। साथ

ही दिनांक 30.04.2026 को पीड़िता के देवर चन्द्रहास राय उर्फ टिंकू राय द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया तथा पूर्व में भी इस प्रकार की घटना कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 110/26 धारा 85, 115(2), 351(3), 64(2)(ड) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त चन्द्रहास राय उर्फ टिंकू राय पुत्र स्व0 कपिलदेव राय निवासी ग्राम बैजाबारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को थाना रौनापार पुलिस द्वारा दिनांक 08.05.2026 को समय करीब 05:20 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

चन्द्रहास राय उर्फ टिंकू राय पुत्र स्व0 कपिलदेव राय निवासी ग्राम बैजाबारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 110/26 धारा 85, 115(2), 351(3), 64(2)(ड) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0 अवधेश यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. रि0आ0 सगीर अहमद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. रि0का0आ0 सौम्या गुप्ता थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 08.05.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 04.08.2021 को वादिनी मुकदमा पूजा पत्नी अमित कुमार निवासी पुरखीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त देवानंद उर्फ गोलू पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी धनेज पांडे थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के साथ मेरी ननद खुशबू की शादी तय हुई अभियुक्त (मंगेतर) ने मेरी ननद खुशबू को मिलने के लिए बुलाने के बाद उसकी चाकू से गला काटकर हत्या कर देना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-120/2021 धारा-302 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 7 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 08.05.2026 को मा0 न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-1 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त देवानंद उर्फ गोलू पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी धनेज पांडे थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते आजीवन कारावास व 1,50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।